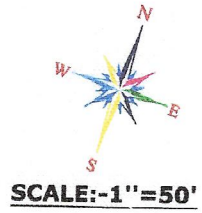
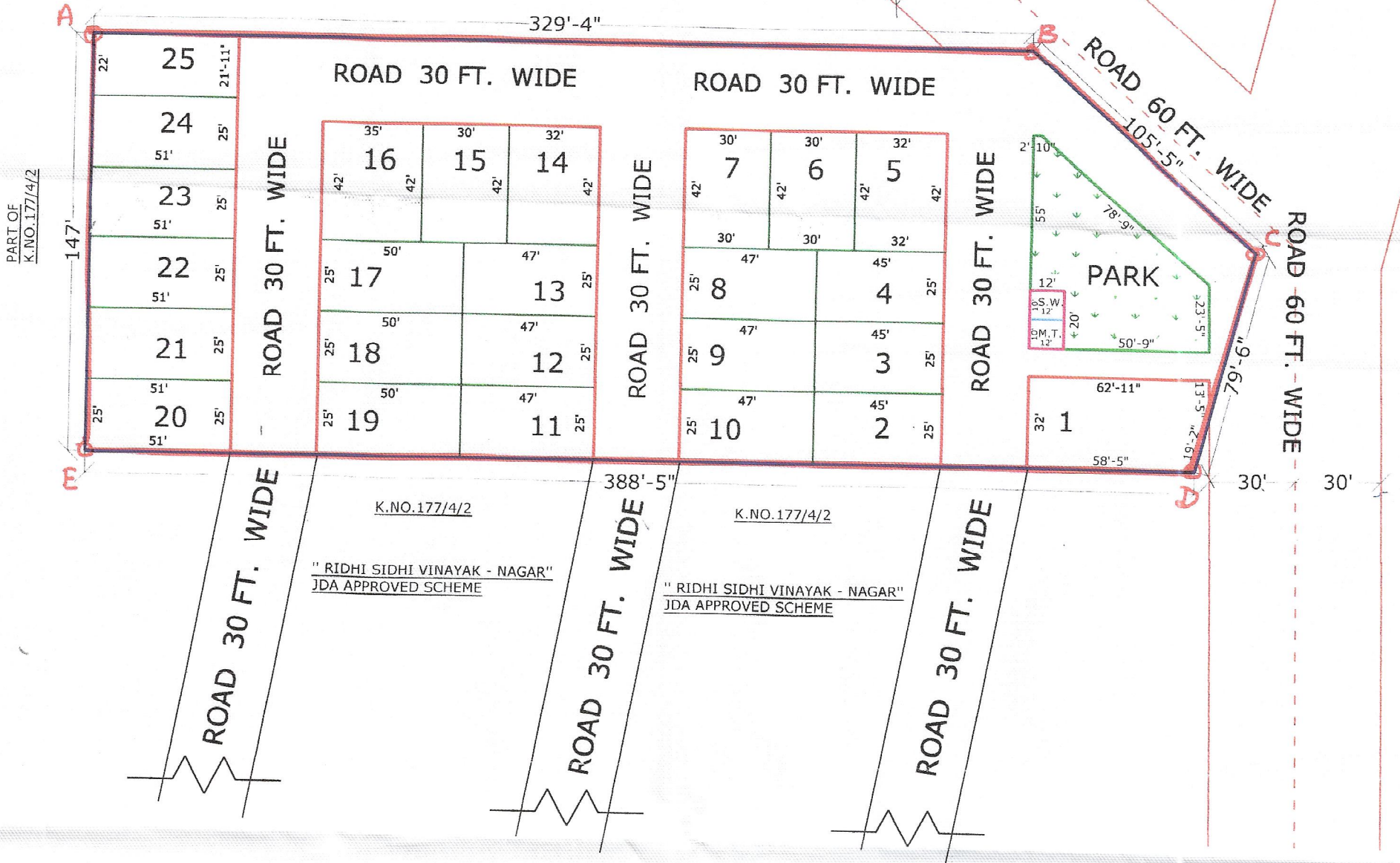


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 177/4/2 VILLAGEDAIJAR AT JODHPUR



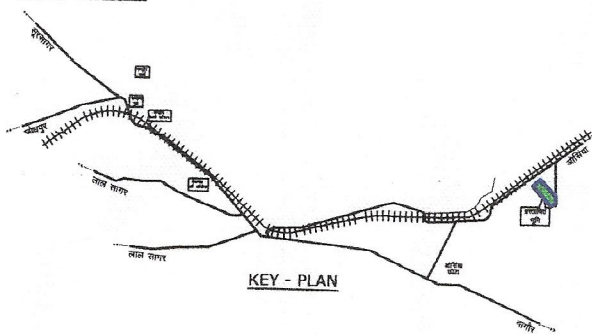
JDA APPROVED
AGRO BASE
SCHEME
K.NO.177/4



LAND USE ANALYSIS		
AREA OF	Sq. YDS	%
PLOT AREA	3509.47	55.95
PARK AREA	322.48	05.14
M.T., S.W. AREA	26.66	00.42
ROAD AREA	2414.03	38.49
TOTAL AREA	6272.64	100.00

03 BIGHA, 04 BISHWA, 16 BISHWANSI

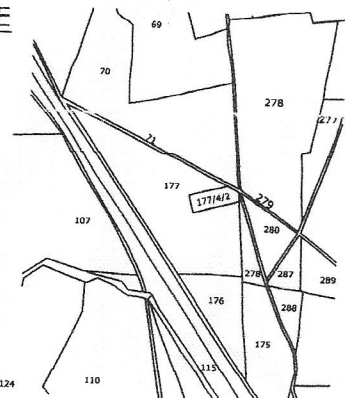
KEY PLAN



GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 177/4/2 VILLAGE DAIJAR AT JODHPUR



KHASRA MAP NOT TO SCALE



90A लावेर डायल LU2012/JOD/202222/1.01526
दिनांक 11.10.22 में श्रीमान जयपुर लॉ फर्म
(N) के द्वारा दिनांक 13.10.22 की योजना में राजस्थान
ग्राह्य दर्ज़र के खसरा नम्बर 177/4/2
मेरे 3.04.16 बीघा के प्रत्युत से आउट प्लान को
पटवारी एकादश द्वारा जारी प्रमाणित पत्र
P.35 क्रमांक 1470 दिनांक 6.10.22 से मिलान कर
सीमाओं की साथ साथी से मार्क A से E किया
जाकर डुपर इम्पोज/नोटिफ करवाकर किया गया
दिनांक 27.10.22

निरीक्षक (पू.ज.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Z-6/660

27/03/2023

(B)

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्थान ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	177/4/2	12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भवतराल पुत्र श्री सूरजप्रसन्न				
विषय-	राजस्थान ग्राम दईजर के खसरा संख्या 177/4/2 रकबा 12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनाध ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटेमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविभा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की लम्बाय व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्थान मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावे। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मोके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्त्री की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्त्री वसूल की जावे एवम् सैटेलाइट क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाय जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्राधान्यानुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं तोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरांत रहन मुक्त किया जावेगा। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अपाति एवं मासिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत राय-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर राय-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH/2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर